दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 29/12/2025

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 9 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 2 जे. डब्लयू. के खाता सं. 25 के प.नं. 90/355 की कुल 4.212 हैक. मे प्रतिवादी सं. 2 के 1099/16848 हिस्सा मे से वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 0.06375 हैक., प्रतिवादी सं. 3 जगदीश को 0.211 हैक. व चक 1 जेडब्लयू के खाता सं. 53 के प.नं. 91/355, 92/355 की कुल 9.172 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1861/55032 हिस्सा मे से वादी व प्रतिवादी सं. 1 को 0.0754 हैक. व प्रतिवादी सं. 3 जगदीश को 0.1838 हैक, प्रतिवादी सं. 4 रामस्वरूप को 0.0254 हैक., प्रतिवादी सं. 6 सेलु कुमार को 0.0254 हैक. का खातेदार घोषित किया जाता है जिसमे से प्रतिवादी सं. 2 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि चारागाह, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested